72

बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

संकल्प

संचिका संख्या :– पर्य०वि०(होटल)–03 / 2022 ...1488..... / प० वि०, पटना दिनांक 21.06.2022

विषयः– **राज्य में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पटना में बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की भूमि पर 45 वर्ष की लीज के तहत् पाँच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति किये जाने के संबंध में।**

राज्य के पर्यटन स्थलों पर विगत कई वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विकासात्मक एवं आधारभूत संरचनागत निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन किये जाने के फलस्वरूप बिहार आने वाले देशी–विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहाँ वर्ष 2015 में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः करीब 2.80 करोड़ एवं 9.24 लाख थी, वहीं वर्ष 2019 में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर क्रमशः करीब 3.40 करोड़ एवं 11 लाख हो गई। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि की तुलना में राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक सुविधा युक्त आवासन इत्यादि की सुविधा में वृद्धि नहीं हो सकी है। इस परिप्रेक्ष्य में राजधानी पटना में देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

2. इसके निमित्त बांकीपुर बस स्टैंड परिसर, पटना की भूमि पर पाँच सितारा होटल के निर्माण के फलस्वरूप होटल निर्माण स्थल के आस–पास आर्थिक गतिविधियों में एवं पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी और रोजगार सृजन की सम्भावनाएं भी सृजित होंगी। इसका निर्माण लीज के आधार पर निजी क्षेत्र के द्वारा कराये जाने से राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय भी नहीं किया जायेगा एवं आधुनिक सुविधायुक्त आवासन की सुविधा उपलब्ध होने से राज्य की छवि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

3. इसके तहत निजी क्षेत्र के द्वारा 45 वर्ष के लिए लीज के आधार पर पाँच सितारा होटल का निर्माण निम्नलिखित मापदण्डों के अनुरूप किया जायेगा :–

क्र० सं०	पाँच सितारा होटल के स्थान का विवरण	उपलब्ध भूमि	कमरों की संख्या	F.A.R.	Ground Coverage	अभ्युक्ति
01	बांकीपुर बस स्टैंड, गांधी मैदान, पटना की भूमि पर।	3.5 एकड़	500 (कम से कम)	6.0	40%	भवन की ऊंचाई Airport Zoning Restrictions के तहत् रहेगी।

4. बांकीपुर बस स्टैण्ड परिसर में निर्माण किये जाने वाले पाँच सितारा होटल के नजदीक 5000 क्षमता का बापू सभागार, 500 क्षमता का ज्ञान भवन सभागार, 5000 शय्या क्षमता का नवनिर्माणाधीन पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना विश्वविद्यालय परिसर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (National Institute of Technology), नवनिर्माणाधीन पटना समाहरणालय, प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय, उद्योग भवन आदि महत्वपूर्ण संस्थान अवस्थित हैं। उक्त संस्थानों में नियमित रूप से विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यक्रम होने से इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में पर्यटकों एवं आगंतुकों का प्रवाह बना रहता है। इसके अतिरिक्त होटल निर्माण स्थल से सटे गाँधी मैदान एवं श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, वाणिज्यिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में भी हजारों–लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। उस अनुपात में इस क्षेत्र में उन्नत पाँच सितारा होटल की सुविधायुक्त कमरों की उपलब्धता काफी कम है। अतः इस क्षेत्र में पर्यटकों एवं आगंतुकों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें पाँच सितारा होटल की उन्नत सुविधाएँ यथा– Banquet Halls, Business Centre, Recreational facilities, Wellness Centre, Restaurants आदि के साथ कम से कम 500 कमरों की सुविधा प्रदान करने हेतु बांकीपुर बस स्टैण्ड परिसर में पाँच सितारा होटल का निर्माण F.A.R. 6.0 के अनुरूप किया जायेगा, जिसका लाभ राज्य में आने वाले पर्यटकों एवं अतिथियों को प्राप्त होगा।

5. निजी क्षेत्र के द्वारा उपरोक्त स्थल पर निर्मित किये जाने वाले पाँच सितारा होटल के लीज की अवधि 45 वर्ष की होगी, जिसके उपरांत परिसम्पत्ति चालू हालत में स्वतः पर्यटन विभाग के अधीन हो जायेगी तथा सरकार द्वारा परिसम्पत्ति के संचालन के संबंध में उचित निर्णय लिया जायेगा।

6. उपरोक्त कार्य निजी क्षेत्र के द्वारा लीज के आधार पर कराया जायेगा। इस संबंध में की जाने वाली लीज तथा निविदा की शर्तों का निर्धारण मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नवत सदस्य होंगे :–

(क) अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

(ख) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(ग) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(घ) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।

(ड़) सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

7. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 17.06.2022 को मद संख्या–14 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के प्रधान सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०वि०(होटल)–03/2022 1288 /प०वि०, पटना दिनांकः– 21.06.2022

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/निदेशक, पर्यटन निदेशालय/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।